

**न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**क्रमांक/सरिश्ता 5-08(74)2022/  
निमित्त,

दिनांक : 24/05/2022

तहसीलदार  
राशमी  
विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

- 1 श्रीमति सोनु जाट पत्नि रतनलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी लुकडी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

**प्रार्थीगण****बनाम**

1. श्री भैरू पिता उगमा जाति जाट आयु वयस्क निवासी लुकडी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
2. श्री जवाहरमल पिता वक्ता जाति जाट आयु वयस्क निवासी लुकडी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
3. श्री मांगू पित दौलदास कांमड जाति दास आयु वयस्क निवासी लुकडी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
4. श्री सोहनलदास पिता भूरदास कांमड जाति दास आयु वयस्क निवासी लुकडी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
5. श्री भूमिधारी तहसीलदार राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

**अप्रार्थीगण****प्रार्थना पत्र संख्या :- 74/2022****--:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::--**

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता मौजा लुकडी पटवार हल्का नेवरिया तहसील राशमी में स्थित आराजी संख्या 177 की दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में चारों ओर दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद एवं किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रभावी न हो तो तथा मौके पर फसल खड़ी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें, मौके पर किसी प्रकार का विवाद होने पर पत्थरगढ़ी नहीं कि जावे एवं इसी आशय का पर्चा मौका प्रेषित करावें। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका पेश करे

**नीता वसीदा**  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी

